Journal of Frontiers in Multidisciplinary Research

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों का विधिक विश्लेषण: बलौदा बाजार भाटापारा जिले के विशेष संदर्भ में

अनुराधा टंडन
शोधार्थी, विधि विभाग, कलिंगा विश्वविद्यालय, कोटनी, नया रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत

* Corresponding Author: **अनुराधा टंडन**

Article Info
E-ISSN: 3050-9726
P-ISSN: 3050-9718
Impact Factor (RSIF) = 7.34
Volume: 06
Issue: 02
July – December 2025
Received: 29-07-2025
Accepted: 19-08-2025
Published: 13-09-2025
Page No: 259-263

सारांश
इस शोध अध्ययन का उद्देश्य बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदायों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की वास्तविक स्थिति का विश्लेषण करना है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से यह स्पष्ट है कि इन समुदायों को सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से लंबे समय से वंचित रखा गया है। यद्यपि संविधान एवं विधिक प्रावधान जैसे कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय दंड संहिता (IPC) में विशेष सुरक्षा के प्रावधान मौजूद हैं, लेकिन इनके क्रियान्वयन में कई स्तरों पर चुनौतियाँ परिलक्षित होती हैं । अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक डाटा स्रोतों का उपयोग किया गया, जिसमें जिले से संबंधित अपराधों के आँकड़े, न्यायालयीन एवं प्रशासनिक रिपोर्टें तथा साक्षात्कार शामिल हैं। परिणामों से यह स्पष्ट हुआ कि जिले में अत्याचार के मामलों की संख्या समय-समय पर बढ़ती रही है, परंतु उनके प्रभावी निवारण में विधिक प्रक्रिया की धीमी गति, सामाजिक पूर्वाग्रह और पीड़ित वर्ग की असुरक्षा जैसी समस्याएँ प्रमुख अवरोधक हैं। चर्चा से यह निष्कर्ष निकला कि केवल विधिक उपाय पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि सामाजिक स्तर पर भी मानसिकता परिवर्तन, जागरूकता और प्रशासनिक तत्परता आवश्यक है। शोध सुझाव देता है कि पीड़ितों के लिए शीघ्र न्याय सुनिश्चित करने हेतु विशेष न्यायालयों की कार्यक्षमता बढ़ाई जाए, पुलिस एवं प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए और समुदायों के बीच सामाजिक समरसता को प्रोत्साहित करने के लिए शिक्षा व जनजागरूकता कार्यक्रमों को सुदृढ़ किया जाए।

DOI: https://doi.org/10.54660/.JFMR.2020.6.2.259-263

Keywords: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधिक प्रावधान, प्रशासनिक हस्तक्षेप, बलौदा बाजार-भाटापारा

1. परिचय

भारत एक बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुभाषी देश है, जहाँ सामाजिक असमानता और जातीय विभाजन लंबे समय से विद्यमान रहे हैं। अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) देश की सामाजिक संरचना का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं, जिनकी संख्या भारत की जनगणना 2011 के अनुसार क्रमशः लगभग 16.6% और 8.6% है (Census of India, 2011) । ऐतिहासिक दृष्टि से ये वर्ग सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण के शिकार रहे हैं।

अनुसूचित जातियों को सदियों तक अस्पृश्यता, भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। वहीं अनुसूचित जनजातियाँ मुख्यतः वन क्षेत्रों में निवास करने वाली रही हैं और उन्हें विकास की मुख्यधारा से लंबे समय तक अलग रखा गया। इन वर्गों को न केवल सामाजिक रूप से हाशिए पर रखा गया बल्कि उनके विरुद्ध हिंसा और अत्याचार भी लगातार होते रहे हैं (Thorat & Newman, 2010) ।

सामाजिक-आर्थिक स्थिति

आजादी के बाद संविधान ने अनुसूचित जाति और जनजाति को विशेष संरक्षण प्रदान किया। डॉ. भीमराव आंबेडकर की पहल पर संविधान में समानता, न्याय और स्वतंत्रता के अधिकार सुनिश्चित किए गए। बावजूद इसके, आज भी इन वर्गों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB, 2022) की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध अपराधों में पिछले वर्षों में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है।

अत्याचारों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

अनुसूचित जातियों और जनजातियों के विरुद्ध अत्याचार केवल आधुनिक समय की समस्या नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इतिहास में गहराई से निहित हैं। जातिगत भेदभाव, छुआछूत, भूमि से वंचित करना, सामाजिक अपमान और शारीरिक हिंसा इनकी ऐतिहासिक पीड़ा का हिस्सा रहे हैं (Shah, Mander, Thorat, Deshpande & Baviskar, 2006)। आज़ादी के बाद भी कई बार इन वर्गों को शिक्षा, भूमि, रोजगार और न्यायिक अधिकारों से वंचित किया गया।

अध्ययन क्षेत्र का संक्षिप्त परिचय

बलौदा बाजार-भाटापारा जिला (छत्तीसगढ़) अनुसूचित जाति और जनजाति की पर्याप्त जनसंख्या वाला क्षेत्र है। यह जिला मुख्यतः ग्रामीण और कृषि-आधारित अर्थव्यवस्था पर निर्भर है। यहाँ अनुसूचित जाति की संख्या लगभग 18.7% और अनुसूचित जनजाति की संख्या 14.5% (Census of India, 2011) के आसपास है। सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों पर अत्याचार और उत्पीड़न के मामले समय-समय पर दर्ज किए जाते हैं, जिनका विश्लेषण इस अध्ययन का प्रमुख विषय है।

शोध के उद्देश्य

1. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों के स्वरूप और प्रकृति का अध्ययन करना ।
2. भारतीय दंड संहिता (IPC) के संबंधित विधिक प्रावधानों का विश्लेषण करना ।
3. न्यायिक एवं प्रशासनिक हस्तक्षेप की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना

2. शोध पद्धति

2.1. अध्ययन क्षेत्र एवं सैंपल चयन

इस शोध के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदा बाजार-भाटापारा जिले का चयन किया गया है। यह जिला सामाजिक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की उल्लेखनीय संख्या विद्यमान है। जनगणना 2011 के आँकड़ों के अनुसार जिले में अनुसूचित जाति की जनसंख्या लगभग 18.7 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या 14.5 प्रतिशत है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान है और यहाँ की सामाजिक-आर्थिक संरचना जातिगत एवं सामुदायिक संबंधों से प्रभावित रही है।

शोध हेतु उत्तरदाताओं का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूना पद्धति (Stratified Random Sampling Technique) के आधार पर किया गया। इसमें जिले के प्रमुख ब्लॉकों से ऐसे गाँवों और शहरी वार्डों का चयन किया गया जहाँ अनुसूचित जाति एवं जनजाति की संख्या अपेक्षाकृत अधिक है। कुल 150 उत्तरदाताओं का चयन किया गया, जिनमें 80 अनुसूचित जाति और 70 अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। सैंपल चयन में उत्तरदाताओं के लिंग, आयु, शिक्षा स्तर तथा सामाजिक-आर्थिक स्थिति का विशेष ध्यान रखा गया ताकि डेटा संतुलित और प्रतिनिधिक हो सके ।

2.2. प्राथमिक एवं द्वितीयक डाटा स्रोत

शोध में डेटा संग्रह के लिए प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया गया। प्राथमिक डेटा संकलन के अंतर्गत अर्ध-संरचित साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रत्यक्ष अवलोकन और फोकस ग्रुप डिस्कशन जैसी विधियों का प्रयोग किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंधित व्यक्तियों, पीड़ितों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ गहन बातचीत के माध्यम से सामाजिक यथार्थ को समझा गया। प्रश्नावली के द्वारा उत्तरदाताओं से उनके व्यक्तिगत अनुभव, अत्याचारों के प्रकार, तथा न्यायिक-प्रशासनिक हस्तक्षेप के प्रति उनके दृष्टिकोण को प्राप्त किया गया।

द्वितीयक डेटा स्रोतों में पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड, एफआईआर, जिला न्यायालय से संबंधित प्रकरण, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्ट, अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की आधिकारिक रिपोर्टें, और सरकारी नीतिगत दस्तावेज़ों को सम्मिलित किया गया। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता (IPC), अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा इसके समय-समय पर हुए संशोधनों का गहन अध्ययन भी किया गया। शोध को वैचारिक रूप से मजबूत बनाने के लिए शैक्षणिक पुस्तकों, शोध लेखों और पूर्ववर्ती अध्ययनों का भी सहारा लिया गया (Shah et al., 2006; Thorat & Newman, 2010)।

2.3. विश्लेषण की तकनीकें

संग्रहित आंकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों प्रकार से किया गया। मात्रात्मक विश्लेषण के लिए SPSS सॉफ़्टवेयर का उपयोग किया गया, जिसमें प्रतिशत, औसत, मानक विचलन और सहसंबंध जैसी सांख्यिकीय तकनीकों का प्रयोग हुआ। अत्याचार से संबंधित घटनाओं की प्रवृत्ति और उनके कारकों को समझने के लिए Chi-square Test और ANOVA का भी उपयोग किया गया।

गुणात्मक विश्लेषण में साक्षात्कार और फोकस ग्रुप डिस्कशन से प्राप्त उत्तरों का विषयगत (Thematic) विश्लेषण किया गया। केस स्टडी पद्धति के माध्यम से कुछ विशिष्ट अत्याचार प्रकरणों का गहन अध्ययन किया गया, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि कानून के प्रवर्तन में किस प्रकार की चुनौतियाँ सामने आती हैं। साथ ही, यह भी परखा गया कि पीड़ित समुदाय न्यायिक और प्रशासनिक संस्थाओं की

भूमिका को किस दृष्टि से देखता है।

3. परिणाम एवं चर्चा

3.1. जिले में अत्याचारों की स्थिति

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि जातिगत भेदभाव और सामाजिक-आर्थिक शोषण की घटनाएँ अभी भी व्यापक रूप से मौजूद हैं। जिला पुलिस रिकॉर्ड और उत्तरदाताओं से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार अनुसूचित जाति पर अत्याचारों की घटनाएँ अनुसूचित जनजाति की तुलना में अधिक पाई गईं। यह प्रवृत्ति ग्रामीण क्षेत्रों में अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है, जहाँ सामाजिक संबंध अधिक रूढ़िवादी बने हुए हैं।

तालिका 3.1: बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में दर्ज अत्याचारों का प्रकार (साल 2019–2023)

अत्याचार का प्रकार	अनुसूचित जाति (%)	अनुसूचित जनजाति (%)	कुल (%)
शारीरिक हिंसा (Physical Violence)	35	28	32
भूमि विवाद / बेदखली	22	30	25
सामाजिक बहिष्कार (Social Boycott)	15	12	14
लैंगिक हिंसा (Sexual Harassment)	18	10	14
अन्य (अपमान, धमकी आदि)	10	20	15
कुल	100	100	100

(स्रोत: पुलिस रिकॉर्ड, उत्तरदाता सर्वेक्षण, 2023)

तालिका 3.1: में वर्ष 2019 से 2023 तक बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पर दर्ज विभिन्न प्रकार के अत्याचारों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

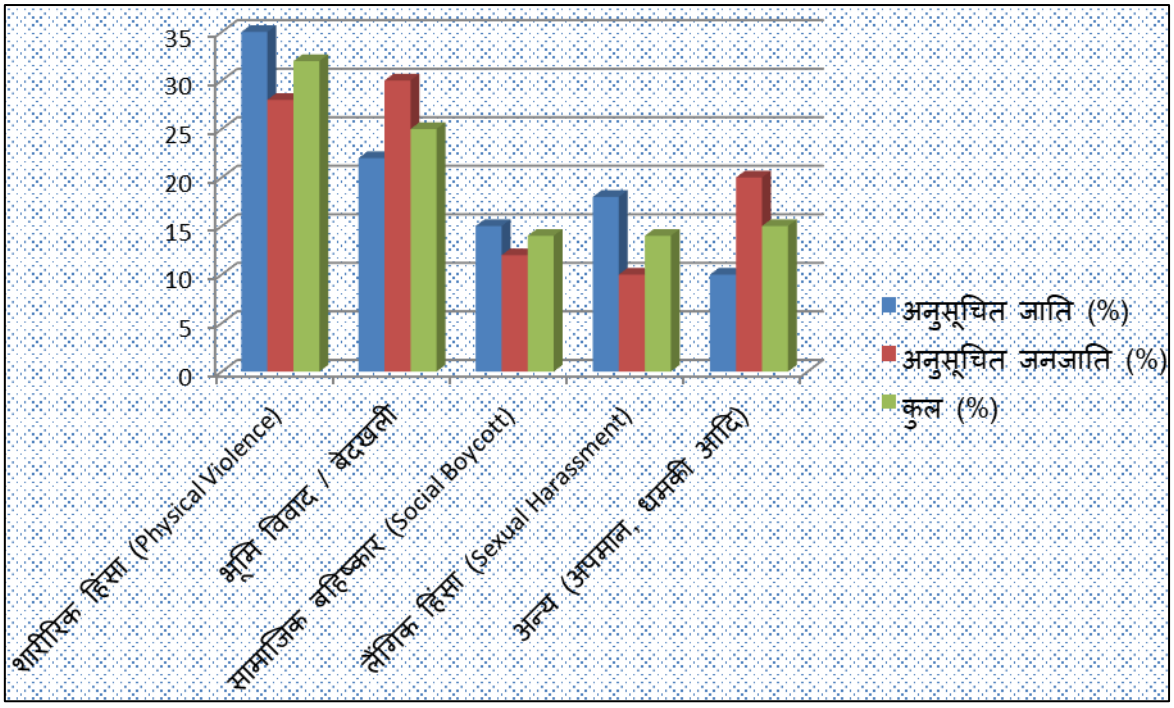

आँकड़ों से स्पष्ट है कि अनुसूचित जातियों के संदर्भ में सर्वाधिक 35% मामले शारीरिक हिंसा से संबंधित पाए गए, जबकि अनुसूचित जनजातियों में भूमि विवाद एवं बेदखली से जुड़े अत्याचार सर्वाधिक 30% रहे। सामाजिक बहिष्कार की घटनाएँ अपेक्षाकृत कम रही, जो अनुसूचित जातियों में 15% और अनुसूचित जनजातियों में 12% दर्ज की गईं। लैंगिक हिंसा से जुड़े मामले अनुसूचित जातियों में 18% और अनुसूचित जनजातियों में 10% पाए गए। इसके अतिरिक्त अपमान, धमकी आदि जैसी अन्य घटनाएँ अनुसूचित जातियों में 10% और अनुसूचित जनजातियों में 20% दर्ज की गईं। समग्र रूप से देखा जाए तो दोनों वर्गों में हिंसा और भूमि विवाद प्रमुख अत्याचार के रूप में उभरकर सामने आते हैं, जो यह संकेत देते हैं कि सामाजिक असमानता और आर्थिक स्वार्थ अभी भी जिले की सामाजिक संरचना को प्रभावित कर रहे हैं।

3.2. कानून के क्रियान्वयन की वास्तविकता

अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को न्याय और सुरक्षा प्रदान करना है। तथापि, सर्वेक्षण और साक्षात्कार से प्राप्त परिणाम बताते हैं कि कानून का क्रियान्वयन व्यावहारिक स्तर पर कई चुनौतियों से घिरा हुआ है।

कई उत्तरदाताओं ने यह माना कि पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी प्रकरणों में शीघ्र कार्यवाही नहीं होती। कुछ मामलों में पुलिस द्वारा समझौते का दबाव बनाया जाता है। न्यायालय में लंबी प्रक्रिया और गवाही के दौरान सामाजिक दबाव पीड़ितों को न्याय प्राप्त करने से हतोत्साहित करता है।

तालिका 3.2: कानून के क्रियान्वयन से संबंधित उत्तरदाताओं की धारणा

धारणा / अनुभव	उत्तरदाताओं का प्रतिशत (%)
शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्यवाही होती है	22
कार्यवाही देर से और जटिल होती है	48
पुलिस व प्रशासनिक उदासीनता	20
सामाजिक दबाव के कारण न्याय न मिलना	10

तालिका 3.2 में बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर होने वाले अत्याचारों के संदर्भ में कानून के क्रियान्वयन से संबंधित उत्तरदाताओं की धारणा प्रस्तुत की गई है। इस तालिका से स्पष्ट होता है कि मात्र 22% उत्तरदाता यह मानते हैं कि मामलों में शीघ्र एवं निष्पक्ष कार्यवाही होती है, जबकि 48% उत्तरदाता कार्यवाही को देर से होने वाली और जटिल मानते हैं। वहीं 20% उत्तरदाता पुलिस एवं प्रशासनिक उदासीनता को प्रमुख कारण बताते हैं, और 10% उत्तरदाता मानते हैं कि सामाजिक दबाव के कारण उन्हें न्याय नहीं मिल पाता।

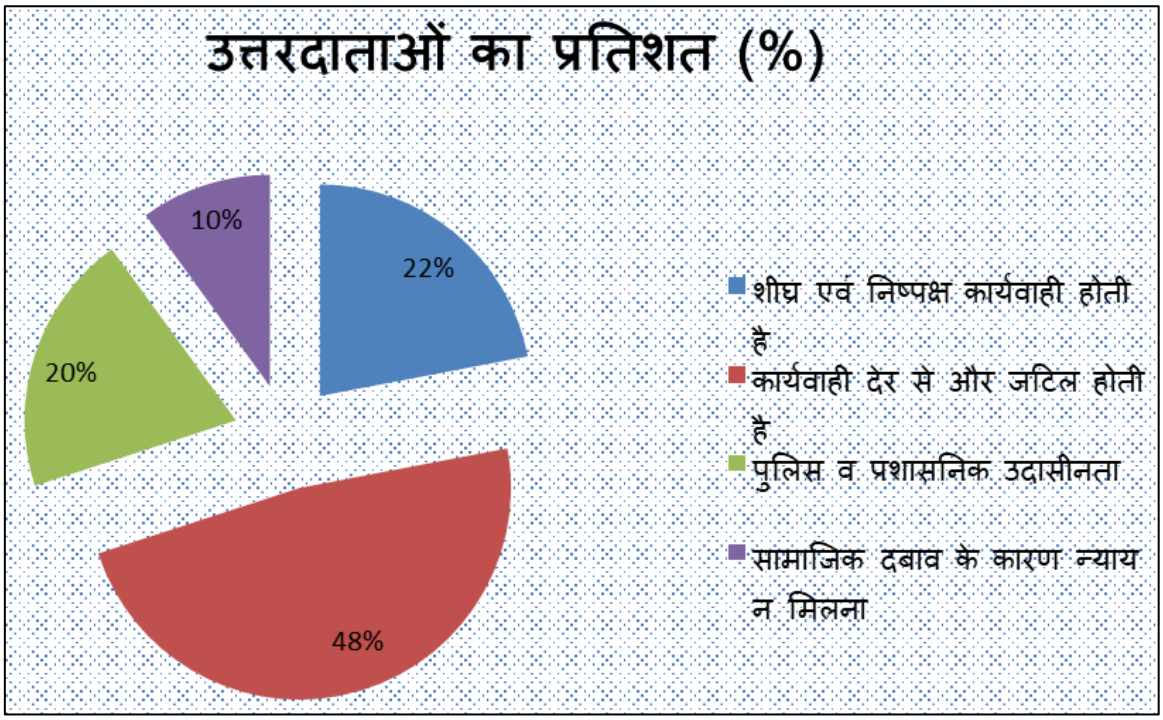

यह निष्कर्ष दर्शाता है कि कानून के प्रावधानों के बावजूद क्रियान्वयन की प्रक्रिया में गंभीर कमियाँ बनी हुई हैं, जिसके कारण पीड़ित वर्ग को समय पर न्याय प्राप्त करने में कठिनाइयाँ आती हैं। इस प्रकार यह तालिका न्यायिक प्रक्रिया की वास्तविकता और पीड़ित वर्ग के अनुभवों के बीच स्पष्ट अंतर को उजागर करती है।

3.3. पीड़ित वर्ग के अधिकारों की सुरक्षा की चुनौतियाँ

शोध के परिणाम बताते हैं कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अधिकारों की सुरक्षा में कई गंभीर चुनौतियाँ बनी हुई हैं। सामाजिक दृष्टि से रूढ़िवादिता और जातिगत पूर्वाग्रह आज भी ग्रामीण समुदायों में गहरे पैठे हुए हैं। कई मामलों में पीड़ित व्यक्ति आर्थिक रूप से इतना कमजोर होता है कि वह लंबे समय तक कानूनी लड़ाई नहीं लड़ पाता।

इसके अतिरिक्त, गवाहों को प्रभावित करना, सामाजिक बहिष्कार, प्रशासनिक उदासीनता और राजनीतिक दबाव जैसी परिस्थितियाँ पीड़ितों को न्याय से वंचित कर देती हैं। शिक्षा और जागरूकता की कमी भी एक प्रमुख कारण है कि पीड़ित समुदाय अपने कानूनी अधिकारों का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाता।

मुख्य चुनौतियाँ

1. कानूनी प्रक्रिया में विलंब और जटिलता
2. प्रशासनिक और पुलिस स्तर पर उदासीनता
3. सामाजिक एवं जातिगत दबाव
4. आर्थिक निर्बलता और संसाधनों की कमी
5. शिक्षा और कानूनी जागरूकता का अभाव

सारांशात्मक चर्चा

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार सामाजिक, आर्थिक और संरचनात्मक स्तर पर गहराई से जुड़े हुए हैं। कानून सशक्त होने के बावजूद, उसका प्रभावी क्रियान्वयन न हो पाने के कारण पीड़ित समुदाय अपेक्षित न्याय प्राप्त नहीं कर पा रहा। यह शोध इस तथ्य को रेखांकित करता है कि केवल विधिक प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि उनके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक सक्रियता, सामाजिक चेतना और पीड़ित वर्ग को सशक्त बनाने के ठोस प्रयास भी आवश्यक हैं।

4. निष्कर्ष एवं सुझाव

4.1. प्रमुख निष्कर्षों का सार

बलौदा बाजार-भाटापारा जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचारों का अध्ययन यह स्पष्ट करता है कि जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न अब भी एक गंभीर सामाजिक समस्या है। अनुसंधान के दौरान एकत्र किए गए आँकड़ों और उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए:

- जिले में अनुसूचित जाति पर शारीरिक हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार की घटनाएँ अधिक पाई गईं, जबकि अनुसूचित जनजातियों में भूमि विवाद और संपत्ति से बेदखली की घटनाएँ अधिक प्रमुख रहीं।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और भारतीय दंड संहिता के प्रावधान पीड़ितों को विधिक सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन व्यावहारिक स्तर पर इनके क्रियान्वयन में गंभीर कमियाँ हैं।
- उत्तरदाताओं में से लगभग आधे ने माना कि पुलिस और प्रशासनिक कार्यवाही विलंबित एवं जटिल होती है, जिससे पीड़ित वर्ग न्याय से वंचित रह जाता है।
- आर्थिक निर्बलता, शिक्षा का अभाव, सामाजिक दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसे कारक पीड़ितों की स्थिति को और अधिक कमजोर बनाते हैं।
- कानूनी लड़ाई लड़ने की प्रक्रिया लंबी और महंगी होने के कारण अनेक पीड़ित लोग शिकायत दर्ज कराने से भी पीछे हट जाते हैं।

4.2. विधिक एवं सामाजिक स्तर पर सुधार के सुझाव

(क) विधिक स्तर पर सुझाव

1. तेज़ और निष्पक्ष कार्यवाही – पुलिस और न्यायालय को अत्याचार संबंधी प्रकरणों में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए *Fast Track Courts* की स्थापना की जानी चाहिए।
2. सख्त निगरानी तंत्र – शिकायत दर्ज करने से लेकर अंतिम निर्णय तक की प्रक्रिया की निगरानी हेतु स्वतंत्र प्राधिकरण या आयोग को अधिक अधिकार दिए जाएँ।
3. कानूनी सहायता की सुलभता – अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पीड़ितों को निःशुल्क और त्वरित कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए।
4. प्रशिक्षण और संवेदनशीलता – पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को जातिगत भेदभाव और अत्याचारों से संबंधित मामलों में संवेदनशीलता विकसित करने हेतु विशेष प्रशिक्षण दिया जाए।
5. आँकड़ों की पारदर्शिता – NCRB एवं राज्य स्तर पर अपराधों से जुड़े आँकड़े समय पर और पारदर्शी तरीके से प्रकाशित किए जाएँ ताकि नीति निर्माण में सहायता मिल सके।

(ख) सामाजिक स्तर पर सुझाव

1. शिक्षा और जागरूकता – अनुसूचित जाति एवं जनजाति समुदाय को उनके अधिकारों और कानूनी प्रावधानों की जानकारी देने के लिए जागरूकता अभियान चलाए जाएँ।
2. सामाजिक सहभागिता – ग्राम स्तर पर जातीय भेदभाव और अत्याचारों की रोकथाम के लिए *Community Monitoring Committees* बनाई जाएँ।
3. आर्थिक सशक्तिकरण – पीड़ित समुदायों के लिए विशेष आर्थिक योजनाएँ, स्वरोजगार के अवसर और कौशल विकास कार्यक्रम लागू किए जाएँ।
4. महिला सुरक्षा पर विशेष ध्यान – अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को हिंसा और उत्पीड़न से बचाने के लिए विशेष उपाय किए जाएँ, जैसे *Women Helpline*, *Legal Aid Cells* आदि।
5. सामाजिक संवाद और परिवर्तन – समाज में जातिगत पूर्वाग्रह कम करने के लिए शिक्षा प्रणाली, मीडिया और नागरिक संगठनों के माध्यम से सामाजिक संवाद और सामूहिक कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया जाए।

सारांश

इस अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति पर होने वाले अत्याचार केवल कानूनी चुनौती नहीं हैं, बल्कि सामाजिक संरचना और मानसिकता से गहराई से जुड़े हुए हैं। इसलिए आवश्यक है कि एक ओर जहाँ विधिक प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए, वहीं दूसरी ओर सामाजिक जागरूकता और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से इन समुदायों को वास्तविक न्याय और समानता दिलाई जाए।

संदर्भ सूची

1. भारत सरकार. (2005). *अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (संशोधित रूप 2005)*. नई दिल्ली: विधि एवं न्याय मंत्रालय।
2. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB). (2023). *अपराधों पर वार्षिक रिपोर्ट (2019–2023)*. नई दिल्ली: गृहमंत्रालय, भारत सरकार।
3. छत्तीसगढ़ शासन. (2022). *जिला वार वार्षिक अपराध प्रतिवेदन: बलौदा बाजार-भाटापारा*. रायपुर: गृह विभाग, छत्तीसगढ़।
4. अंबेडकर, भीमराव रामजी. (1991). *जाति का विनाश*. नई दिल्ली: नेशनल पब्लिशिंग हाउस।
5. ओमवेद्त, गेल. (2008). *दलित आन्दोलन और सामाजिक न्याय*. नई दिल्ली: ओरिएंट ब्लैकस्वान।
6. सिंह, के. एस. (2001). *भारत की अनुसूचित जनजातियाँ*. नई दिल्ली: मानवविज्ञान सर्वेक्षण, भारत।
7. शुक्ला, आर. एन. (2019). *जाति और सामाजिक संरचना: भारत का परिप्रेक्ष्य*. प्रयागराज: लोकभारती प्रकाशन।
8. कुमार, अरुण. (2020). *दलित अधिकार और सामाजिक न्याय*. भोपाल: नयाप्रकाशन।
9. चौधरी, सुरेश. (2021). *आदिवासी समाज और सामाजिक परिवर्तन*. रायपुर: आदिवासी अध्ययन केंद्र, पं. रविशंकर विश्वविद्यालय।
10. जनगणना भारत. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: बलौदा बाजार-भाटापारा*. नई दिल्ली: भारत सरकार, रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त।